

पत्रांक-7/खाद्य-12-01/2017-145(70a)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न) ।

पटना, दिनांक -21-02-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल ₹ 35,62,840/- (पैतीस लाख बासठ हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-08(7)ब दिनांक-15.05.17, 47(7)ब दिनांक-21.08.17 एवं 97(7)ब दिनांक-01.12.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मदों एवं अन्य मदों में कुल ₹ 35,62,840/- (पैतीस लाख बासठ हजार आठ सौ चालीस रुपये) मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20-2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबधित राशि से की जायगी ।

4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सिविल सर्जन तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002, 379(9) दिनांक-16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.1.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।


9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इन आवंटन से कर सकते हैं।

10. यह मात्र आवंटन है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक मास की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार

ज्ञापांक : 45(7)9

पटना, दिनांक : 21-02-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
बिहार

विवरण-1

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-20.2210061020001 के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	कार्यालय व्यय	वर्दी/पोषाक	कुल	अभ्युक्ति
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)		(13-01)	(13-06)		
		3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिविल सर्जन, पटना	44000	649080	410100	68000	400	4860	1572440	10000	0	1582440	917/5.2.18
2	सिविल सर्जन, समस्तीपुर	16000	20960	14400	0	400	3000	54760	5000	1000	60760	2545/7.12.17
3	सिविल सर्जन, दरभंगा	48000	70800	52800	0	400	3000	175000	0	0	175000	2243/29.11.17
4	सिविल सर्जन, मोतिहारी	40000	46000	32000	0	400	3000	121400	14000	0	135400	3215/27.12.17
5	सिविल सर्जन, बेगुसराय	150000	187500	120000	0	400	3000	460900	0	0	460900	2859/9.12.17
6	सिविल सर्जन, भागलपुर	100000	115000	80000	0	400	4600	300000	0	0	300000	439/5.2.18
7	सिविल सर्जन, भोजपुर	30000	39300	24000	0	400	4300	98000	5000	4000	107000	3989/21.12.17
8	सिविल सर्जन, वैशाली	100000	115000	80000	0	400	4600	300000	0	0	300000	228/1.2.18
9	सिविल सर्जन, सिवान	100000	160000	180000	0	340	1000	441340	0	0	441340	1805/9.11.17
	कुल योग:-	1024000	1403640	993300	68000	3540	31360	3523840	34000	5000	3562840	

(पैतीस लाख बासठ हजार आठ सौ चालीस रू०) /

145(F)9
21-02-18

← 823 / 21/2/18

सरकार के विशेष सचिव

सिन्हा

विवरण - II

उपलब्ध की स्थिति-

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0001-01-01)	11080000	10056000	1024000	11080000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	14577000	13173360	1403640	14577000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	3500000	2506700	993300	3500000	0
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	206000	138000	68000	206000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001-01-06)	197000	193460	3540	197000	0
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	440000	408640	31360	440000	0
	योग 20-2210.06.102.0001.01 वेतन	30000000	26476160	3523840	30000000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	100000	50000	0	50000	50000
8	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	300000	266000	34000	300000	0
9	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	1100000	800000	0	800000	300000
10	विधि प्रभार (0001-13-05)	200000	169000	0	169000	31000
11	दर्दी / पोषाक (0001-13-06)	10000	5000	5000	10000	0
12	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	200000	0	0	0	200000
13	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	50000	50000	0	50000	0
14	दवा भंडार (0001-21-02)	50000	50000	0	50000	0
15	संवित्त सेवाएँ (0001-28-02)	300000	150000	0	150000	150000
16	मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01)	100000	100000	0	100000	0
	कुल योग:-	32410000	28116160	3562840	31679000	731000

(पैटीस लाख बासठ हजार आठ सौ चालीस रु०)

145 (7) 9
21-02-18

सरकार के विशेष सचिव

(Signature)
21/2/18